दिनांक 07.08.2019

PRESS NOTE

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

➢ **80 हजार रूपये लूटकर भाग रहे राहुल खटटा गैंग के सदस्य 'मनोज' सहित 02 अन्य शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 80 हजार रूपये व मोबाईल फोन, चोरी की 02 मो0सा0 एवं अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत :– पुलिस द्वारा दिनांक 06.08.19 को समय करीब रात्रि 08:00 बजे चीलघ ार रोड निवाडा वाली सडक के पास से षातिर लूटेरा **मनोज पुत्र सतीष निवासी सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से **एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस एवं लूट का मोबाईल फोन व घटना स्थल से लूट के 80 हजार रूपये** बरामद किये गये। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर दिनांक 06.08.19 को चीलघर रोड निवाडा वाली सडक के पास से कस्बा बागपत से ग्राम निरोजपुर मोटरसाईकिल से जाते हुए संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्णपाल व दीपक पुत्र ब्रजपाल निवासी गण–निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत से डंडा मारकर व तमंचे से फायरिंग कर 80 हजार रूपये व एक नोकिया मोबाईल फोन लूट लिया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 608/19 धारा 394, 307, 411 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज के विरूद्व **'थाना कोतवाली बागपत पर हत्या, डकैती, लूट व गैंगस्टर सहित 08 अभियोग पंजीकृत** है। उक्त लूटेरे के दो साथी 1–नितेष पुत्र जसवीर निवासी ग्राम जवाहर नगर गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत 2–एक अपचारी किषोर को आज दिनांक 07.08'.19 को ग्राम निरोजपुर निवाडा रोड बाग के पास से गिरफ्तार किया है अभियुक्तों के कब्जे से घटना मे ंप्रयुक्त एक चोरी की मो0सा0 सुपर स्पलैण्डर व एक डंडा बरामद किया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अभियुक्त का नाम व पता :–**

  1–मनोज पुत्र सतीष निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  2–नितेष पुत्र जसवीर निवासी ग्राम जवाहर नगर गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  3–एक अपचारी किषोर।

- **बरामदगी :–**

  1–लूट के 80 हजार रूपये बरामद।
  2–एक तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।
  3–एक लूट का मोबाईल फोन।
  4–चोरी की एक मो0सा0 सुपर स्पलैण्डर।
  5–चोरी की एक मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस।
  6–घटना मे प्रयुक्त एक डंडा।

- **अभियुक्त 'मनोज' का अपराधिक इतिहास :–**

  1–मु0अ0सं0 524/15 धारा 452, 302 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  2–मु0अ0सं0 585/16 धारा 395, 411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  3–मु0अ0सं0 814/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  4–मु0अ0सं0 535/16 धारा 379,411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
  5–मु0अ0सं0 597/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  6–मु0अ0सं0 608/19 धारा 394, 307, 411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  7–मु0अ0सं0 609/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
  8–मु0अ0सं0 610/19 धारा 394, 411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

- ## एक शातिर अपराधी, ''राकेष'' पुलिस बाद मुठभेड गिरफ्तार/घायल।

थाना चांदीनगर :– दिनांक 06.08.19 को जनपद बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत रात्रि समय करीब 23:25 बजे मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम ढिकौली से कहरका रोड पर षमषान घाट के पास पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड हुई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार हेतू सीएचसी पिलाना ले जाया गया। पूछताछ पर घायल बदमाश ने अपना नाम **राकेष पुत्र घर्मवीर निवासी पटटी ढुन्ठा ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत** बताया। बदमाश के कब्जे से **एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस एवं एक संदिग्ध चोरी की मोटरसाईकिल स्पलैण्डर** बरामद की गई। अभियुक्त के विरूद्व **थाना चांदीनगर पर हत्या, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर सहित 9 अभियोग** पंजीकृत है। उक्त बदमाश का एक 15 हजार रूपये का ईनामी साथी अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेष निवासी पटटी ढुन्ठा ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत फरार हो गया, जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अभियुक्त का नाम व पता :–**
  1–राकेष पुत्र घर्मवीर निवासी पटटी ढुन्ठा ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- **बरामदगी :–**
  1–एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस।
  2–एक संदिग्ध चोरी की मोटरसाईकिल स्पलैण्डर।
- **अभियुक्त 'राकेष' का अपराधिक इतिहास :–**
  1–मु0अ0सं0 180/07 धारा 302 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  2–मु0अ0सं0 168/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  3–मु0अ0सं0 257/07 धारा 110 जी द0प्र0स0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  4–मु0अ0सं0 222/11 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  5–मु0अ0सं0 18/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  6–मु0अ0सं0 141/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  7–मु0अ0सं0 150/19 धारा 307, 34 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  8–मु0अ0सं0 151/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
  9–मु0अ0सं0 152/19 धारा 414 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

- ## स्टीम कार चोरी कर भाग रहे शातिर चोर, ''अतुल'' पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार/घायल।

थाना खेकडा :– दिनांक 07.08.19 को जनपद बागपत के थाना खेकडा क्षेत्रान्तर्गत सुबह समय करीब 04:50 बजे जंगल ग्राम मसूरी जिला कारागार रोड पर स्टीम कार चोरी कर भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड हुई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार हेतू जिला अस्पताल बागपत ले जाया गया। पूछताछ पर घायल बदमाश ने अपना नाम **अतुल पुत्र आदेष निवासी इन्द्रा कालौनी बहालगढ थाना सोनीपत हरियाणा** बताया। बदमाश के कब्जे से **एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस एवं एक चोरी की स्टीम कार नम्बर–डीएल–3सीएडी–9398** बरामद की गई। अभियुक्त द्वारा आज दिनांक 07.08.19 को सुबह

करीब 02:30 बजे अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिगम्बर जैन मंदिर बडागांव से उपरोक्त स्टीम कार को चोरी करने की घटना कारित की गई थी जिसकी सूचना पर थाना खेकडा पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही कराते मु0अ0सं0 313/19 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त बदमाश के एक साथी फरार हो गया, जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अभियुक्त का नाम व पता :–**
  1–अतुल पुत्र आदेष निवासी इन्द्रा कालौनी बहालगढ थाना सोनीपत हरियाणा।
- **बरामदगी :–**
  1–एक तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस।
  2–एक चोरी की स्टीम कार नम्बर–डीएल–3सीएडी–9398

➢ **षस्त्र अधि0 के अन्तर्गत एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय एक जिंदा कारतूस बरामद।**

थाना बालैनीः– पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान षनिदेव मंदिर ग्राम बालैनी रोड से अभियुक्त बबलू पुत्र सोमपाल निवसी नई कालौनी कस्बा व थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।